

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- आकाद निवृत्ति सोमनाथ, (आई एस.)

निर्णय दिनांक
16 01 2024

प्रकरण संख्या
433 / 2022

दायर दिनांक
09.11.2022
उनवान

- 1 श्री ललित शंकर भट्ट पुत्र श्री देवन्द्रदत्त भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी सांगानेर हॉल निवासी पोलाअेक्किनक कॉलेज के पास, तिलकनगर भीलवाडा जिला भीलवाडा।
- 2 श्री लोकेश कुमार भट्ट पुत्र देवन्द्रदत्त भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी सांगानेर हॉल निवासी मालीयो के मन्दिर के पीछे, कलकीपुरा, माणिक्यनगर, भीलवाडा जिला भीलवाडा।

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1 श्री भगवान सहाय पुत्र रामकुमार कोठारी निवासी बडे मन्दिर के पास, सांगानेर भीलवाडा।
- 2 श्री विनोद पुत्र रामस्वरूप सेठिया निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
- 3 श्री शम्भू पुत्र रामपाल सेठिया निवासी बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
- 4 श्री सत्यनारायण पुत्र रामस्वरूप डाड(महाजन) निवासी बडे मन्दिर के पास सांगानेर, भीलवाडा जिला भीलवाडा।
- 5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थीगण पुनित कुमार शर्मा
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

- निर्णय -

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 995 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 3081/633 रकबा 0.1644 है0, आराजी संख्या 386/1 रकबा 0.0126 है0, आराजी संख्या 634 रकबा 0.6323 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.8093 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है।

और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4 के विरुद्ध दिनांक 23.1.2023 एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये, अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

मने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


Abad
16/1/24

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 995 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 3081/633 रकबा 0.1644 है0, आराजी संख्या 386/1 रकबा 0.0126 है0, आराजी संख्या 634 रकबा 0.6323 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.8093 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


16/1/24
(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा